फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

रामेश्वर बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 47/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 598/491 रकबा 0.0447 है0 वाके गाम संवास तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार एवं अंकित चली आ रही है। उक्त भूमि मूल आराजी खसरा नंबर 491 रकबा 0.0600 है0 का भाग है जिसके साबिक खसरा नंबर 106/1/1 रकबा 1 बीघा रहे है। साबिक खसरा नंबर 106/1/1 रकबा 6 बिस्वा भूमि में से 731.88 वर्गमीटर भूमि का तत्कालीन खातेदार किशोरीलाल पुत्र सेडूराम बैरवा निवासी सीकरी ने विहित प्राधिकारी तहसीलदार सिकराय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन आदेश भू.रू./99/230–234 दिनांक 16.04.1999 द्वारा करवाया था उक्त संपरिवर्तन के बाद तत्कालीन खातेदार किशोरीलाल ने उक्त संपरिवर्तनशुदा पर मैसर्स जगदम्बा स्टोन कटिंग इण्डस्ट्रीज नाम औद्योगिक इकाई स्थापित कर राजस्थान वित्त निगम जयपुर शाखा दौसा से ऋण प्राप्त किया था, ऋण अदा नहीं किए जाने पर नीलामी कार्यवाही में बोलीदाता मैसर्स हॉटल बसन्त विहार जरिये पार्टनर श्री राधेश्याम व पवनसिंह गुर्जर को सफल बोलीदाता होने पर उक्त वर्णित औद्योगिक प्रयोजनार्थ खसरा नंबर में 479.35 वर्गमीटर भूमि का विक्रय सफल बोलीदाता के हक में दिनांक 10.03.2010 को पंजीकृत करवाया गया था। जिसको प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को नियत प्रतिफल की राशि अदा कर जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया गया था लेकिन रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकार नामान्तकरण में औद्योगिक प्रयोजनार्थ की जगह बारानी 1 अशुद्ध रूप से दर्ज कर दी गई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी अधिकारी है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार किस्म बारानी 1 की जगह औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावें। बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया, बहस प्रार्थी अधिवक्ता का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न जवाब तहसीलदार को अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि पूर्ववर्ती जमाबंदीयों में भूमि की किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रही हो। एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही शुद्धि की जा सकती है। तथा प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण में किस्म परिवर्तन किया जाना अंकित किया है, जिसके संबंध में प्रार्थी नियमानुसार नामान्तकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	